BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

EXECUTION APPLICATION NO. 12/2023(CZ)

OM PRAKASH SOMANI **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN AND ORS. **RESPONDENTS**

INDEX

Sr.No.	Description of Documents	Page No.
1.	COMPLIANCE REPORT IN TERMS OF ORDER DATED 24.07.2023	2
2.	Affidavit in Support	3
3.	Copy of Compliance Report	4-7

PLACE: BHOPAL

DATE: 21/07/24

SHOEB H KHAN

COUNSEL FOR ANSWERING RESPONDENTS

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

EXECUTION APPLICATION NO. 12/2023 (CZ)

OM PRAKASH SOMANI **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN AND ORS. **RESPONDENTS**

COMPLIANCE REPORT IN TERMS OF ORDER DATED 24.07.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

That in terms of directions issued by this Hon'ble Tribunal dated 24.07.2023 passed in O.A. No.91/2022(CZ) the Respondent No.1, 2, 3, 4 & 5 is submitting the compliance report which may be kindly taken on record.

PRAYER

It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take this status report on record in the interest of justice.

PLACE: BHOPAL **SHOEB H KHAN**

DATE: 21/07/24 **COUNSEL FOR ANSWERING RESPONDENTS**

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

Execution Application NO. 12/2023(CZ)

OM PRAKASH SOMANI **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN AND ORS. **RESPONDENTS**

NOTARY • GOVT. OF RAJASTHAN • Krishna Kumar Jeengar NOTARY PUBLIC Reg. No. 21567 BANERA (Bhilwara) Exp. 31.AUG.2027

AFFIDAVIT

I **Chokha Ram s/o Vanna Ram Ji R/o Hal Teshildar Banera Dist. Shahpura (Raj.) Post Teshildar do** hereby solemnly affirm on oath and state as under:-

i. That I am well acquainted with the facts of the present case and the application has been drafted by counsel for answering respondent on my instructions and contents thereof, have also been explained to me.

i. That Annexures are the Photocopies of originals & they are correct and are true to best of my knowledge.

i. That, affidavit is executed in support of documents annexed with the compliance report.

DEPONENT
तहसीलदार
तह. बनेड़ा जिला शाहपुरा

VERIFICATION

I **Chokha Ram** the above named deponent do hereby verify that the contents of the aforesaid affidavit from paragraph 1 to 3 are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Verified on this day of 2024.

DEPONENT
तहसीलदार
तह. बनेड़ा जिला शाहपुरा

PLACE:
DATE:

SHOEB H KHAN

COUNSEL FOR ANSWERING RESPONDENT

NOTARY • GOVT. OF RAJASTHAN • Krishna Kumar Jeengar NOTARY PUBLIC Reg. No. 2 BANERA (Bhilwara) Exp. 31.AUG.2027

SIGNATURE ATTESTED
Krishna Kumar Jeengar
Advocate & Notary Public
BANERA Distt.Bhilwara
21/7/24

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय तहसीलदार बनेडा जिला शाहपुरा (राज0)

क्रमांक / न्याय / 2024 / 152

दिनांकः– 19.07.2024

श्रीमान माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT),सेन्ट्रल महोदय
जोनल बैंच भोपाल, (मध्यप्रदेश)

विषयः–माननीय,राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT),सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल के प्रकरण संख्या 91/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 24.07.2023 की पालना करने के संबध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल के प्रकरण संख्या 91/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 24.07.2023 की पालना मे निम्न बिन्दुवार मौका अनुसार रिपोर्ट :–

1–श्रीमान माननीय,राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल के प्रकरण संख्या 91/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 24.07.2023 की पालना मे श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो बनेडा के पत्र कमांक/3210 दिनांक 26.09.2023 से दिनांक 03.10.2023 से रायला तालाब किया अवैध अतिक्रमण को हटाया जाने पर राजस्व टीम, पुलिस जाप्ता, पंचायतीराज विभाग के साथ व पंचायतीराज विभाग द्वारा उपलब्ध संसाधन से **कच्ची ग्रवेल सडक के आशिंक भाग को हटाया गया था,** शेष भूमि से अतिक्रमण दिनांक 18.07.2024 को हटाया जा चुका है।

2–श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो बनेडा के पत्र कमांक/विविध/2023/3403 दिनांक 20.10.2023 से दिनांक 22.10.2023 तक रायला तालाब किया अवैध अतिक्रमण/निर्माण को स्थगित किया गया था। पुनः दिनांक 23.10.2023 से रायला तालाब किया अवैध अतिक्रमण/निर्माण शुरू किया कच्ची ग्रवल सडक के आशिंक भाग हटाया गया था, शेष भूमि से अतिक्रमण दिनांक 18.07.2024 को हटाया जा चुका है।

3–प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, शाहपुरा के आदेश क्रमांक/जेडी/एनजीटी/2024/488 दिनांक 08.07.2024 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल के प्रकरण संख्या 91/2022 अनवावन ओमप्रकाश सोमाणी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2023 की पालना में दिनांक 18.07.2024 को अतिक्रमण हटाने हेतु गठित कमेटी द्वारा मौके पर ग्राम रायला के साबिक आराजी नंबर 739/1 व 739/2 धर्मतालाब के वर्तमान आराजी नंबर 2367 रकबा 17.3635 हैक्टर किस्म गै.मु. पेटा, आराजी नंबर 2520 रकबा 0.3794 है0 किस्म गै.मु. आबादी व आराजी नंबर 2521, 2521/1 रकबा क्रमशः 0.0379 है0 किस्म बारानी III, व रकबा 0.4426 है0 किस्म गै.मु. आवासीय में से निम्नानुसार अतिक्रमण हटाया गया है :–

1. आराजी नंबर 2367 में मौके पर 5 गुणा 140 मीटर रास्ता बनाकर बहाव को अवरूद्व किया हुआ था जिसको संयुक्त टीम द्वारा हटाया जा चुका है।
2. धर्मतालाब में पानी की आवक हेतु आराजी नंबर 2440 में स्थित नाले को पूर्णतय सफाई करवाई जाकर वर्तमान में पानी की आवक बाधित नहीं होती है। सम्पूर्ण नाले को खुलासा करवाया जा चुका है।
3. आराजी नंबर 2520 जो गै.मु. आबादी दर्ज है में बाउण्ड्रीवाल तोडकर अतिक्रमण हटाया गया है।

तहसीलदार
तह. बनेड़ा जिला शाहपुरा

4. शेष आराजी नंबर 2520 व 2521/1 में पक्के निर्मित आवासीय मकान बाबत् निवासीयों द्वारा 02 माह का समय चाहे जाने से एवं AAG माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 29.07.2024 तक निर्माण ध्वस्त नहीं करने बाबत् निर्देश प्राप्त होने से उक्त अतिक्रमण को हटाने की आगामी कार्यवाही आदेशानुसार प्रस्तावित की जावेगी।

अतः शेष रहे अतिक्रमण के संबंध में निवेदन है कि मौके पर पक्के रहवासी मकान होकर परिवार सहित निवासरत होने से निवासीयों द्वारा रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु 02 माह का समय चाहे जाने से प्रकरण में शेष रहे अतिक्रमण को हटाने हेतु अतिरिक्त समय दिलाने का श्रम करावें।

संलग्नः—उक्तानुसार।

तहसीलदार बनेड़ा
जिला शाहपुरा

तहसीलदार
तह. बनेड़ा जिला शाहपुरा

संयुक्त कार्यवाही प्रतिवेदन

श्रीमान् जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा के आदेश कमांक/जेडी/एनजीटी/2024/488 दिनांक 08.07.2024 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल के प्रकरण सं0 91/2022 अनवान ओमप्रकाश सोमाणी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 24.07.2023 की पालना हेतु आज दिनांक 18.07.2024 को अतिक्रमण हटाने बाबत कार्यकारी कमेटी मौके पर उपस्थित रही। ग्राम रायला के साबिक आराजी नं0 739/1 व 739/2 धर्मतालाब के वर्तमान आराजी नं0 2367 रकबा 17.3635 हैक्टर किस्म गै0मु0 पेटा, आराजी नं0 2520 रकबा 0.3794 हैक्टर किस्म गैमु0 आबादी व आराजी नं0 2521, 2521/1 रकबा क्रमशः 0.0379 किस्म बारानी तृतीय, व रकबा 0.4426 हैक्टर किस्म गै0मु0 आवासीय में सलंग्न मौका पर्चा के निम्नानुसार अतिक्रमण हटाया गया :→

1. आराजी नं0 2367 में मौके पर 5 गुणा 140 मीटर रास्ता बनाकर बहाव को अवरूद्ध किया हुआ था जिसको सयुक्त टीम द्वारा हटाया गया।
2. धर्मतालाब में पानी की आवक हेतु आराजी नं0 2440 में स्थित नाले को पूर्णतय सफाई की गई है।
3. आराजी नं0 2520 जो गै0मु0 आबादी दर्ज है में बाउण्ड्रीवाल तोडकर अतिक्रमण हटाया गया।
4. शेष आराजी नं0 2520 व 2521/1 में पक्के निर्मित आवासीय मकान बाबत निवासीयों द्वारा 1 माह की मोहलत चाहे जाने से एंव AAG माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 29.07.2024 तक निर्माण ध्वस्त न करने बाबत निर्देश प्राप्त हुए। अतः उक्त कार्यवाही अग्रिम आदेशानुसार प्रस्तावित की जावेगी।

18/7/2024 (BDO) प.स.बनेडा	(RSPCB) Bhilwara ~~शाहपुरा~~	(TDR) बनेडा	(SDM) बनेडा

मौका-पर्चा ग्राम: रामपता

आज दिनाँक 18/07/24, को, श्रीमान तहसीलदार महोदय बनेड़ा के आदेश क्रमांक/न्याय/2024/100, दिनांक 16/07/2024 की पालना में एवं N.GT. भोपाल के प्र. सं. 91/2022 में पारित निर्णय दिनांक 24/07/23 की पालना में गठित राजस्व टीम, पुलिस प्रशासन, सहित, ~~मौके~~ ग्राम रामपता के धर्मतालाब, वर्तमान आ.न. 2367, आ.न. 2520 गैमु: आबादी 2521, एवं 2521/1, गैमु: आवासीय के मौके पर अतिक्रमण हटाने हेतु पहुंचे,

मौके पर, चिह्नित अतिक्रमी, ग्रामवासी एवं श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार महो. बनेड़ा, एवं विकास अधि. महो. ग्राम-पंचायत प्रशासक, एवं अन्य विभागो के अधिकारी मौके पर उपस्थित मिले। ०

सभी की मौजूदगी में, ग्राम पंचायत संसाधन (J.C.B 2) की सहायता से रामपता धर्मतालाब (2367) में बनी कच्ची सड़क, ल. 140 मी. × 5 मी. चौ. (आ.न. 2520 मे स्थित, जो आबादी भूखण्ड (पोस्ट ऑफिस से नीमड़ी) जोड़ (अतिक्रमण है) आ.न. 2440 मे आकर से, बबूल हटाकर, सफाई की गई, जिससे आबादी भूखण्ड की। श्रीमान जिला कलेक्टर महो. शाहपुरा द्वारा, इकरार पर दिये गये, निर्देशानुसार अतिक्रमियों की, दिनांक 22/07/24 को NGT भोपाल, में आगामी तारीख पेशी, पर पे अतिक्रमियो द्वारा, श्रीमान उपखण्ड अधि. महो, को, एक माह की अवधि दिये जाने हेतु निवेदन की गई, तत्पश्चात्, श्रीमान उपखण्ड अधि. महो. बनेड़ा द्वारा अतिक्रमण हटाने में, शिथिलता प्रदान की गई।

उपरोक्त मौका पर्चा, बनाया गया, उपस्थित के हस्ताक्षर लिये।

TSR बनेड़ा

NTBR Patel
18.7.24

[signature]
18/07/2024
प. मुरली

SPM

JLR उपरेड़ा

JLR रामपता

(Jitendra) JEE, RPCB

अति. वि. अ.
पं. स. बनेड़ा

V.D.O रामपता

पा. स. रामपता